राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1376/2021

1. प्रभु नारायण शर्मा
2. यशोधन पाल सिंह
3. निहाल सिंह
4. राजेश कुमार शर्मा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.02.2021

आदेश की दिनांक : 10.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री अश्विनी जैमन, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2019 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 वर्षवार रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर उक्त रिक्ति वर्षों के विरूद्ध अपीलार्थीगण के नाम पर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए यह कथन किया है कि अपीलार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 की प्रथम नियुक्ति एएसआई के पद पर दिनांक 23.06.1990 को हुई थी और अपीलार्थी संख्या 1 की नियुक्ति कॉन्स्टेबल के पद पर दिनांक 07.09.1979 को हुई थी। इसके पश्चात आदेश दिनांक 26.10.1985 को हैड कॉन्स्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 13.10.1992 के द्वारा उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई जबकि अपीलार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 को उप निरीक्षक के पद पर उप निरीक्षक रिक्ति वर्ष 1995–96 के विरूद्व आदेश दिनांक 10.01.1996 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियमों 1989 के तहत उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अपीलार्थीगण पुलिस निरीक्षक रिक्त वर्ष 2000–01 के विरूद्व पदोन्नति पाने की योग्यता रखते थे जबकि अपीलार्थीगण को पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्व पुलिस निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 22.06.2007 के द्वारा पदोन्नत किया गया जबकि अपीलार्थीगण पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2000–01 के विरूद्व पदोन्नति पाना चाहते है लेकिन अपीलार्थीगण की पदोन्नति पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2000–01 के विरूद्व कोई विचार नहीं किया गया जबकि नियम 1989 के नियम 10 के तहत प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को रिक्तियों का निर्धारण किये जाने का प्रावधान है और उन रिक्तियों को दूसरे वर्षो में नहीं जोडा जा सकता। अपील संख्या 271/2008 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2020 की पालना में रिव्यू डीपीसी दिनांक 11.03.2013 को आयेाजित की गई। उनका कथन है कि रिक्ति वर्ष 1999–2000 में उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की नियमित पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 43 कार्मिकों को पुलिस निरीक्षक से आरपीएस ऑर्डीनरी वेतन में पदोन्नति किया गया। इसी तरह रिक्ति वर्ष 2000–01 के विरूद्व 22 पदोन्नति की गई और वर्ष 2001–02 के रिक्तियों के विरूद्व 26 पदोन्नति प्रदान की गई। वर्ष 2002–03 के रिक्तियों के विरूद्व कुल 26 पदोन्नतिया प्रदान की गई एवं रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्व 45 पदोन्नतिया की गई जो पुलिस निरीक्षक से आरपीएस ऑर्डीनरी वेतन में की गई। इस प्रकार वर्ष 1999–04 में कुल 162 पुलिस निरीक्षकों को आरपीएस ऑर्डीनरी वेतन में पदोन्नत किया गया और आदेश दिनांक 17.04.2013 के द्वारा पुलिस निरीक्षक पद की वर्ष 1999–2000 की डीपीसी को रोका गया और वर्ष 2000–01, 2001–02, 2000–03, 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 तक उक्त पदोन्नति विभाग द्वारा आयोजित नहीं की गई और उक्त वर्षो की नियुक्तियों को एक साथ

जोड दिया गया जबकि नियम 10 के तहत प्रतिवर्ष रिक्तियों का निर्धारण एवं प्रतिवर्ष पदोन्नति की जानी चाहिए। आदेश दिनांक 23.12.1999 के द्वारा 23 अभ्यार्थीयों की सूची जारी की गई जो दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस प्रकार 23 रिक्त पद वर्ष 2000–01 में पदोन्नति हेतु विचार किया जाना चाहिए था। वर्ष 2001–02 में 23 रिक्तियों में 14 सिविल पुलिस से एवं आदेश दिनांक 30.12.2000 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–02 जो 23 कार्मिक सेवानिवृत्त हुए थे, उनमें से 12 सिविल पुलिस से दर्शाये गये। इसी प्रकार आदेश दिनांक 29.12.2001 के द्वारा जो 20 कार्मिक वर्ष 2002–03 में सेवानिवृत्त हुए थे उनमें से 13 कार्मिक सिविल पुलिस संवर्ग से दर्शाया गया और आदेश दिनांक 21.12.2002 एवं 12.01.2004 जिसमें वर्ष 2003–04 एवं वर्ष 2004–05 में सेवानिवृत्त 37 एवं 26 कार्मिक दर्शाये गये इस प्रकार वर्ष 2000–01 में 23 पद थे। वर्ष 2001–02 में 23 पद और वर्ष 2002–03 में 20 पद तथा वर्ष 2003–04 में 37 पद इस प्रकार कुल 63 पद सेवानिव ृत्ति से रिक्त हुए और उक्त पद पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति के लिए विचार किये गये।

वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 तक की रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	पदोन्नति द्वारा भरे गये पद	सेवानिवृत्ति से हुए रिक्त पद	कुल पद
1999–2000	43	–	–
2000–01	22	23	45
2001–02	26	23	49
2002–03	26	20	46
2003–04	45	37	82

उनका कथन है कि सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति उपरान्त हुए रिक्त पद वर्ष 1999–2000 से 2003–04 में कुल 225 पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद थे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष नियमानुसार डीपीसी आयोजित की जानी चाहिए थी, परन्तु नही की गई। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 18388/2017 प्रस्तुत की। जिसमें क्रम में माननीय उच्च न्यायालय ने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया अपीलार्थीगण ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निस्तारण नहीं किया गया और अपीलार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या

2561/2018 प्रस्तुत की। जिसकी निर्देशो में प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए खारिज कर दिया गया। जिसमें कोई भी वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया। उनका कहना है कि डीओपी के परिपत्र दिनांक 09.10.2000 की पालना में एससी, एसटी वर्ग के बैकलॉग के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग ने रिक्ति वर्ष 2002–03 के विरूद्व 22 पदों के विरूद्व 33 अभ्यार्थीयों का चयन किया और वर्ष 2003–04 में 68 एससी एसटी अभ्यार्थीयों को 55 रिक्तियो के विरूद्व पदोन्नत किया। 8 पदों को वर्ष 2004–05 में अतिरिक्त दर्शाया गया। वर्ष 2005–'06 की 72 रिक्तियॉ एवं वर्ष 2006–07 की 12 रिक्तियों को वर्ष 2006–07 में योग्यात्मक परीक्षा में जोड दिया गया। जिसमें 67 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। 4 एससी वर्ग और 13 एसटी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे। रिक्ति वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में एससी, एसटी अभ्यार्थीयों द्वारा पद भरे गये और वर्ष 2004–05 में कोई पद उपलब्ध नहीं थे और न ही कोई परीक्षा आयोजित की गई। वर्ष 2000–01 से वर्ष 2005–06 तक सामान्य वर्ग के लिए कोई योग्यात्मक परीक्षा रिव्यू डीपीसी नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार सही तरह से रिक्तियों का निर्धारण नहीं किया गया और वर्ष 2003–04 में 55 रिक्तियों के विरूद्व 68 अभ्यार्थी पदोन्नत किये गये और वर्ष 2003–04 में 43 अभ्यार्थी आरपीएस में पदोन्नत किये गये और 37 पद सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए इस प्रकार 82 पद उपलब्ध थे। 88 रिक्त पद के विरूद्व 68 अभ्यार्थी पदोन्नत किये गये जो उचित प्रतीत नहीं हेाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगदीश प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य (2011 7 एससीसी 789) एवं सैयद खालिद रिजवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 (Supp. 3 एससीसी 575) की और अधिकरण का ध्यान आकर्षक किया जिसमें माननीय न्यायालय ने अपने सिद्वांतों को प्रतिपादित किया। उक्त गलत रूप से रिक्तियों का निर्धारण एवं नियम विरूद्व तरीके से रिक्त पदों को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा भरा गया है जिसके कारण अपीलार्थीगण को उचित समय पर पदोन्नति पाने से वंचित होना पडा अपीलार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। एसबीसिविल रिट याचिका संख्या 14902/2020 प्रस्तुत की। जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अपीलार्थीगण को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया उक्त निर्देशों की पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2019 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी

विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 वर्षवार रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर उक्त रिक्ति वर्षों के विरूद्ध अपीलार्थीगण के नाम पर पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे एवं वर्ष 2001–02, 2002–03 में पुलिस निरीक्षक के पद पर मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वर्ष 1999–04 तक कुल 162 पुलिस निरीक्षकों से आर.पी.एस. संवर्ग में पदोन्नत किये गये वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन नही किया जा सका और इस प्रकार आदेश दिनांक 17.04.2013 के द्वारा उल्लेखित किया गया। योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में केवल एससी, एसटी वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आयोजित की गई। वर्षवार पुलिस निरीक्षकों की रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1999–2000	67
2000–01	00
2001–02	00
2002–03	22
2003–04	55

वर्ष 1999–2000 की रिक्तियों के 67 पद के विरूद्व 93 व उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। जिसमें 88 उप निरीक्षकों के आदेश दिनांक 22.01.2002 के द्वारा एवं 5 उप निरीक्षकों के आदेश दिनांक 06.02.2002 के द्वारा पदोन्नत किया गया। डीओपी के परिपत्र दिनांक 09.10.2000 के द्वारा 33 एससी, एसटी अभ्यार्थी को रिक्ति वर्ष 2002–03 के 22 पदों के विरूद्व चयन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2003–04 में 55 रिक्तियों के विरूद्व 68 अभ्यार्थीयों को पदोन्नत किया गया। जिसमें रिक्ति वर्ष 2004–05 में 5 पदों को अतिरिक्त दर्शाया गया और इस प्रकार 1999–2000 से 2004–05 में 8 पदों को अधिक दर्शाया गया। कुल 194 उप निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2005–06 में 72 पद एवं वर्ष 2006–07 में 12 पद कुल 84 पदों के विरूद्व वर्ष 2006–07 में परीक्षा आयोजित की गई। 67 अभ्यार्थीयो को निरीक्षक के पद पद पदोन्नत किया गया। जिसमें 4 एससी वर्ग से एवं 13 एसटी वर्ग से लिये गये और इस प्रकार 1999–2000 से 2003–04 तक 225 रिक्त पद थे, जिसमें पुलिस निरीक्षक के पद कुल 144 थे और 194 व उप निरीक्षकों को पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत

किया गया। रिक्तियों का निर्धारण एवं रिक्तियों के विरूद्व पदोन्नति नियमानुसार ही की गई है जिसमें किसी प्रकार की कोई नियमों का उल्लंघन नही किया गया है। अपीलार्थीगण ने जो अनुतोष चाहा गया है व स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के लिखित जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि आदेश दिनांक 17.04.2013 की पालना में वर्ष 2001–02 एवं 2002–03 में रिक्त पद उपलब्ध थे, परंतु डीपीसी आयोजित नहीं किए जाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में पुलिस निरीक्षक के पदों को एक साथ नहीं जोडा जा सकता। जबकि उक्त आदेश दिनांक 17.04.2013 से यह प्रकट होता है कि वर्ष 2000 से 2004 में कुल 162 पुलिस निरीक्षकों को पदोन्नत किया गया और इस प्रकार 162 पुलिस निरीक्षक के पद रिक्त हुए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2000–01, 2001–02 में योग्यात्मक परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने का कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। अपीलार्थीगण वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए गए। जबकि वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की जानी चाहिए थी, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध डीपीसी आयोजित नहीं होने के कारण अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित होना पडा एवं उनकी वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

उनका आगे यह भी कथन है कि 93 उप निरीक्षकों को 67 पुलिस निरीक्षकों के रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिसका कोई कारण उल्लेख नहीं किया गया। श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत वर्षवार उप निरीक्षक एवं निरीक्षक के पद की स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी मांगी, जिसके क्रम में विभाग द्वारा वर्ष 1993 में 27 रिक्त पद, वर्ष 2000 में 73 रिक्त पद, वर्ष 2001 में 115 एवं वर्ष 2002 में 52 रिक्त पद दर्शाए गए। उनका कथन है कि 63 कार्मिक सेवानिवृत्त हुए थे, वर्ष 2000–01 से 2003–04 में 162 पद पदोन्नति होने के कारण रिक्त हुए थे और इस प्रकार वर्ष 2000–01 से 2003–04 में कुल 225 रिक्त पद थे। प्रत्यर्थी विभाग ने अपने जवाब में यह स्वीकारा है कि 162 पुलिस निरीक्षक के पद आर.पी.एस. में पदोन्नत होने के कारण रिक्त हुए थे, जो वर्ष के आधार पर भरे जाने थे। उन्होंने यह भी स्वीकारा है कि 63 पद कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने से वर्ष 2000–01 से वर्ष 2002–03 में रिक्त हुए थे और

इस प्रकार कुल 225 पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद उपलब्ध थे। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 के लिए केवल 22 रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। जबकि पदोन्नति एवं सेवानिवृत्त होने से 46 रिक्त पद उपलब्ध थे। इस प्रकार यह भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत तरीके से रिक्तियों का निर्धारण किया गया। पद रिक्त होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष के विरूद्ध डीपीसी आयोजित नहीं की गई। यदि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की जाती तो अपीलार्थीगण को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त हो जाती। परंतु उक्त डीपीसी आयोजित न होने से अपीलार्थीगण को पदोन्नत होने से वंचित होना पड़ा। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रारंभिक नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर हुई थी और विभाग द्वारा उन्हें हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। तदुपरान्त अपीलार्थी संख्या 1 को रिक्ति वर्ष 1991–92 के विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.1992 के द्वारा उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई एवं अपीलार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 को रिक्ति वर्ष 1995–96 के विरूद्व आदेश दिनांक 10.01.1996 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। राजस्थान पुलिस अधिनस्थ सेवा नियमों 1989 के तहत उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक योग्यताधारी कार्मिकों को 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। अपीलार्थीगण पुलिस निरीक्षक रिक्त वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 के विरूद्व पदोन्नति पाने की योग्यता रखते थे। जबकि अपीलार्थीगण को पुलिस निरीक्षक रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्व पुलिस निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 22.06.2007 के द्वारा पदोन्नत किया गया। राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> ***"Rule-10:-Determination of Vacancies.*** *- (1)(a) Subject to the provisions of these Rules, the Appointing Authority shall determine on 1st April every year, the actual number of vacancies likely to occur during the financial year.*

(b) Where a post is to be filled in by single method as prescribed in the rule or Schedule-I, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(c) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in the rules or Schedule-I, the apportionment of vacancies, determined under clause (a) above, to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the over- all number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over after apportionment vacancies is the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(2) The Appointing Authority shall also determine the vacancies for earlier years, year-wise which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in."

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में रिक्तियों की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं :–

i. कार्मिक विभाग के द्वारा नियमित पदोन्नति के लिये दिनांक 04.06.2008 को दिशा–निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 7.1 के अनुसार जिन संवर्ग/पदों पर पदोन्नति केवल एकल प्रणाली से ही होती है, उनके संदर्भ में नियमों में वर्णित पदो ंके अनुसार रिक्त पदों की गणना अंतिम रूप से उसी प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। उक्त दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 7.5 के अनुसार पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से हो रही रिक्तियां गणना योग्य होती है जिनमें निम्न पद भी सम्मिलित होते हैः–
    a. जिन पदों पर अस्थायी–आवश्यक आधार पर पदोन्नतियां की गयी हो वे पद भी गणना योग्य होते है।
    b. नवीन सृजित पद, जिनके लिये उस तिथि को जबकि रिक्तियों का अवधारणा किया जावे, वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गयी हो।
    c. किसी राज्य सेवक के पदच्युत होने/सेवा से हटाये जाने/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/निधन पदोन्नति स्वीकार नहीं करने से उपलब्ध होने वाली रिक्तियां चालू वर्ष में गणना योग्य होते है।

d. वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद।

e. उच्चतर पद पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप होने वाली रिक्तियां एवं

f. एक वर्ष से अधिक के अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर किसी राज्य सेवक के रहने पर इस प्रकार की रिक्तियां गणना योग्य होती है।

जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2000–2001 एवं 2001–02 में पुलिस निरीक्षक के रिक्त हुए पदों का वर्षवार सही निर्धारण नहीं करने एवं अपीलार्थीगण को संबंधित रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित रखने का प्रश्न है, अपीलार्थीगण द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के आधार पर वर्ष 2000–01 से 2005–06 में पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति के आधार पर पुलिस निरीक्षक के कुल रिक्त हुए पदों का विवरण एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डीपीसी के तहत पदोन्नति द्वारा भरे गए कुल पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वर्ष	पदोन्नति से हुए पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद	सेवानिवृत्ति से हुए पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद	पुलिस निरीक्षक के कुल रिक्त पद
1.	2000–01	22	23	45
2.	2001–02	26	23	49
3.	2002–03	26	20	46
4.	2003–04	45	37	82
5.	2004–05	8	26	34
6.	2005–06	17	–	17
कुल योग				**273**

इस प्रकार रिक्ति वर्ष 2000–01 से 2005–06 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के कुल 273 पद रिक्त हुए। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2019 में एवं अपील के जवाब में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वर्ष 2000–01 से 2001–02 तक योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया तथा वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में सभी रिक्तियां एससी, एसटी वर्ग से भरी गई तथा वर्ष 2004–05 में कोई पद उपलब्ध नहीं होने के कारण योग्यात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की गई। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वर्ष 2002–03 व 2003–04 में सभी रिक्तियां एससी, एसटी वर्ग से भरी गई हैं। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जारी सूचना आदेश दिनांक 17.04.2013 के पेज संख्या 5 में वर्ष 2002–03 में पदोन्नति द्वारा हुए पुलिस निरीक्षक के रिक्त पद जिनमें सामान्य वर्ग के 19 रिक्त पद हुए एवं एससी, एसटी वर्ग के 7 रिक्त पद

हुए। इसी प्रकार वर्ष 2003–04 में सामान्य वर्ग के 24 पद रिक्त हुए एवं एससी, एसटी वर्ग के 21 पद रिक्त हुए। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 व 2003–04 में मात्र एससी, एसटी के लिए पुलिस निरीक्षक पद हेतु योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई, इससे यह स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग के पदों को उक्त परीक्षा द्वारा नहीं भरा गया। तदुपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2006–07 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक पद हेतु योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य पद के विरूद्ध अपीलार्थीगण का पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। परंतु उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध कुल मात्र 67 पदों पर ही पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में रिक्ति वर्ष 2000–01, 2001–02 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर कोई पदोन्नति नहीं की गई, वर्ष 2002–03 व 2003–04 में केवल एससी, एसटी वर्ग से ही पुलिस निरीक्षक के 77 पद भरे गए। जबकि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आदेश दिनांक 17.04.2013 के अनुसार रिक्ति वर्ष 2000–01 से 2005–06 में पदोन्नति द्वारा एवं सेवानिवृत्ति द्वारा हुए पुलिस निरीक्षक के कुल रिक्त पद 273 हैं। प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि वर्ष 2000–01 से 2005–06 तक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने पर रिव्यू कार्यवाही एवं वरिष्ठता को पुनर्निधारण किया जाना संभव नहीं है। हमारे विनम्र मत में उक्त नियम 10 के तहत एवं परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को प्रत्येक वर्ष की एक अप्रेल को रिक्तियों का सही निर्धारण किया जाना चाहिए और रिक्ति वर्ष के विरूद्ध ही कार्मिकों की पदोन्नति दी जानी चाहिए। परंतु उपरोक्तानुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा न तो रिक्तियों का सही वर्षवार निर्धारण किया जाना प्रकट होता है और न ही रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान किया जाना परिलक्षित होता है, जो उक्त नियम 1989 के नियम 10 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के विपरीत है, जिसके कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण को उचित समय पर उक्त रिक्ति वर्षों के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से वंचित रखा गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2019 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त नियम 1989 के नियम 10 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसरण में वर्ष 2000–01 से 2005–06 के विरूद्ध पुलिस निरीक्षक के रिक्त पदों का सही

वर्षवार निर्धारण किया जावे एवं उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध रिक्त पदों की उपलब्धता में यदि अपीलार्थीगण योग्य पाए जाते हैं तो रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पुलिस निरीक्षक के पद पर (रिक्ति वर्ष 2000–01 से 2005–06 के विरूद्ध) पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य